न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 41/2024

तारीख रजू :— 15.07.2024

पीठासीन अधिकारी :— पूजा मीना (आर.ए.एस.)

1. कमला देवी } पुत्रियां काडूराम
2. ख्यालबाई }
3. हरिकिशन पुत्र काडूराम

जाति मीना निवासी सुजानपुरा तह0 टोडाभीम जिला करौली हाल गंगापुर सिटी राज0

सायलान

बनाम

1. रूगनाथ } पिसरा चन्दर
2. रामश्री }
3. रामकेश }
4. केशव }
5. बनीराम पुत्र रामश्री
6. प्यारसिंह पुत्र रघुनाथ
7. लवकुश पुत्र रामकेश

समस्त जाति मीना निवासी सुजानपुरा तह0 टोडाभीम जिला करौली हाल जिला गंगापुर सिटी राजस्थान

8. तहसीलदार जी (सबरजिस्ट्रार) तहसील टोडाभीम, जिला करौली हाल गंगापुर सिटी राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

परिस्थित :— 1 अभिभाषक प्रार्थी :— छुट्टन लाल मी[illegible]ट

2 अभिभाषक अप्रार्थी :— धर्मेन्द्र कुमार शर्मा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक— 28-7-25

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 117 में दर्ज आराजी हाल ख0नं0 137/0.16, 138/0.01, 141/0.03, 146/0.12, 170/0.14, 171/0.15, 172/0.11, 254/0.08, 255/0.07, 285/725/0.09, 293/0.07, 294/0.07, 301/0.04, 303/0.04, 304/0.12, 305/0.19, 306/0.15, 331/0.01, 373/0.10, 377/0.22, 379/0.12, 381/718/0.01, 421/709/0.01, 428/0.37, 479/0.10, 482/0.10, 483/0.24, 484/0.25, 519/0.19, 520/0.06, 521/0.06, 522/0.06, 525/0.20, 530/0.25 कुल किता 34 कुल रकवा 3.99 है0 स्थित ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम में है। जिसमें सायलान हिस्सा 1/3 तथा मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 9 हिस्स 1/3 के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त प्रार्थना पत्र के गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 का उक्त आराजी से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने मौके पर उक्त आराजी का अपने–अपने हिस्सेनुसार वाहमी बंटवारा कर रखा हैग जिसके अनुसार सायलान का ख0नं0 146 रकवा 0.12 है0 एवं अन्य खसरा नम्बरान पर मौके पर कब्जाकाश्त है। जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान के कब्जेकाश्त की आराजी ख0नं0 146 के समीप गैरसायलान संख्या 1 ता 7 के कब्जे का ख0नं0 145 रकवा 0.33 है0 स्थित है। जिस पर गैरसायलान संख्या 1 ता 7 नेअपना पुख्ता आवास बना रखा है। उक्त आराजीयात से गैरसायलान संख्या 1 ता 7 का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

बांका दिनांक 04.06.2024 को सुबह करीब 09 बजे का है कि सायलान अपने हिस्से कब्जेकाश्त की आराजी की देखभाल कर रहे थे तो इतने में ही मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को लेकर गैरसायलान 1 ता 7 सायलान की आराजी पर आ धमके और आते ही सायलान को ऐलानियां धमकी दी कि तुम [illegible] इस जमीन पर आना–जाना छोड दो इस पर हम लट्ठ के बल पर जबरन कब्जा करके [illegible] जिस पर सायलान ने ऐसा अन्याय न करने एवं उक्त आराजी का तहसील चलकर रिकार्डेड बंटवारा कराने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

किया तो मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने साफ इन्कार कर दिया जिस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सायलान का प्राईताफेसी केश वखूबी साबित है तथा सुविध का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 137/0.16, 138/0.01, 141/0.03, 146/0.12, 170/0.14, 171/0.15, 172/0.11, 254/0.08, 255/0.07, 285/725/0.09, 293/0.07, 294/0.07, 301/0.04, 303/0.04, 304/0.12, 305/0.19, 306/0.15, 331/0.01, 373/0.10, 377/0.22, 379/0.12, 381/718/0.01, 421/709/0.01, 428/0.37, 479/0.10, 482/0.10, 483/0.24, 484/0.25, 519/0.19, 520/0.06, 521/0.06, 522/0.06, 525/0.20, 530/0.25 कुल किता 34 कुल रकवा 3.99 है0 स्थित ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम में सायलान के हिस्से 1/3 के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावे। गैरसायलान उक्त आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। गैरसायलान उक्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हकहकूक सायलान प्रतिकूल प्रभाव पडता हो। गैरसायलान मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जबाव प्रस्तुत किया कि आराजी ख0नं0 144, 145, 167, 168, 256, 257/712, 276, 284, 327, 496, 686, 687, 688 कुल किता 13 कुल रकवा 1.86 है0 स्थित ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली है। उक्त आराजी की खातेदारी मूल दावे के प्रतिवादीगण 10 लगायत 16 के नाम दर्ज है। जिसमें ख0नं0 145 में मूल दावे के प्रतिवादीगण 10 ता 16 ने वर्षो पूर्व में अपनी आबादी बना ली है। उक्त खसरा नम्बर 145 के लगवा वादीगण का ख0नं0 146 स्थित है। गैरसायल ने सायल[illegible]का [illegible]ति से ख0नं0 145 व 146 के बीच गली छोडकर मकान का निर्माण किया है। अब [illegible] जबरन पुख्ता दीवार कर उक्त छोडी हुई गैरसायलान की गली पर जबरन कब्ज[illegible]कर निर्माण करना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गैरसायलान ने इस बात की शिकायत थाना टोडाभीम में भी की थी। जिस पर मौके पर पुलिस ने जाकर सायलान का अवैध रूप से कब्जा करने की गरज से किये जाने वाले कार्य को रूकवा दिया था सायलान ने यह प्रार्थना पत्र गैरसायलान के विरूद्ध उनको हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो मय हर्जा खारिज फरमाये जाने योग्य है एवं सायलान को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खाता संख्या नया 48 में दर्ज खसरा नम्बर 145 में व 146 के मध्य गैरसायलान की छोडी हुई गली की भूमि पर न तो निर्माण करे ना जबरन कब्जा करे तथा गैरसायलान के मकान की हवा रोशनी को बन्द न करे तथा मकान की नाली को अवरूद्ध ना करे ना ही ऐसा कोई करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक गैरसायलान पर कोई विपरीत असर ना पडे। इस प्रकार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी गई तथा उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम सुजानपुरा के ख0नं0 137/0.16, 138/0.01, 141/0.03, 146/0.12, 170/0.14, 171/0.15, 172/0.11, 254/0.08, 255/0.07, 285/725/0.09, 293/0.07, 294/0.07, 301/0.04, 303/0.04, 304/0.12, 305/0.19, 306/0.15, 331/0.01, 373/0.10, 377/0.22, 379/0.12, 381/718/0.01, 421/709/0.01, 428/0.37, 479/0.10, 482/0.10, 483/0.24, 484/0.25, 519/0.19, 520/0.06, 521/0.06, 522/0.06, 525/0.20, 530/0.25 कुल किता 34 कुल रकवा 3.99 है0 में सायलान एवं मूल दावे के प्रतिवादीगण नं0 1 ता 9 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रकरण वादीगण के ख0नं0 145 व प्रतिवादी (मूलदावे के 10 ता 16) के ख0नं0 146 के मध्य कब्जे काश्त आवागमन/रास्ता को लेकर विवाद होना विवाद्यक विषय है। उभयपक्ष/ वादीपक्ष के पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना सुखाधिकार का हानि कारित कर सकता है, वादी व प्रतिवादी ने स्वीकार भी किया है कि वहां आबादी बसी है। अतः न्यायहित, सर्वजन हित में मार्ग संबंधी सुखाधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः**— पत्रावली मे शामिल द[illegible] के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने [illegible]विधा [illegible] संतुलन वादी के पक्ष में साबित नहीं है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः**— प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी[illegible] मे खातेदार है अतः किसी एक को दूसरे के विरूद्ध पाबन्द करना किसी [illegible] पक्ष/उभयपक्ष को क्षति होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

की संभावना कारित करता है। अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्षकारान को अपूरणीय क्षति की संभावना है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी पृथक–पृथक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का स्वयं के कब्जे काश्त पर काबिज होने के कारण उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-7-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested